



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **JULY 10, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक संघर्ष और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इसका सूक्ष्म आर्थिक (Microeconomic) प्रभाव.....	2
2. भारत-ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौते का संचालन और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना	4
3. सांस्कृतिक कूटनीति और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक विरासत की घर वापसी (Repatriation)...	5
4. भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) में लचीलापन: भू-राजनीतिक व्यापार बाधाओं के बावजूद रिकॉर्ड समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात	7
5. गुजरात डेटा सेंटर नीति (2026-29): एआई (AI) का लाभ उठाना और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	8
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन: कर्नाटक में एचआईवी (HIV) निदान में नवाचार और कलंक (Stigma) को चुनौती देना	10
7. उच्च शिक्षा शासन में उच्च-आवृत्ति विसंगतियां: एनआईआरएफ (NIRF) भागीदारी और एफवाईयूपी (FYUP) कार्यान्वयन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन	12
8. प्रस्तावित एनएफएसए (NFSA) संशोधन और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न आवंटन पर संघीय बहस.....	13
9. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के वैधानिक कामकाज को चुनौती देने वाली जनहित याचिका.....	15
10. उद्यम पूंजी (Venture Capital) वितरण में सुधार: स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में सहकारी संघवाद को बढ़ावा	16

1. पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक संघर्ष और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इसका सूक्ष्म आर्थिक (Microeconomic) प्रभाव

मुख्य बिंदु और सारांश

- **भू-राजनीतिक प्रभाव (Geopolitical Spillover):** चल रहे पश्चिम एशिया युद्ध के कारण स्थानीय स्तर पर मुद्रास्फीति का दबाव (inflationary pressures) पैदा हुआ है, जो सीधे तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं के दैनिक डिजिटल लेनदेन में दिखाई दे रहा है।

- **ईंधन स्टेशनों पर औसत लेनदेन मूल्य (Ticket Size) में वृद्धि:** सेवा और ईंधन स्टेशनों पर औसत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन मूल्य जनवरी 2025 के ₹597.3 से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर जून 2026 के आसपास ₹658.2 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
- **आतिथ्य (Hospitality) खर्च में वृद्धि:** रेस्तरां और भोजनालयों में उपभोक्ता खर्च में भी इसी अनुपात में वृद्धि देखी गई, जहां समान अवधि के दौरान औसत UPI लेनदेन मूल्य (ticket size) ₹139.6 से बढ़कर ₹144.6 हो गया।
- **आयातित मुद्रास्फीति के माध्यम (Imported Inflation Channels):** मध्य पूर्व में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) के बाधित होने का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा, जिससे घरेलू ईंधन की कीमतें बढ़ीं और आतिथ्य क्षेत्र की परिचालन लागत (operational costs) में वृद्धि हुई।
- **डिजिटल पदचिह्न संकेतक (Digital Footprint Indicators):** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के डिजिटल लेनदेन के आंकड़े एक उच्च-आवृत्ति आर्थिक संकेतक (high-frequency economic indicator) के रूप में कार्य करते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे वैश्विक समष्टि आर्थिक झटके (macroeconomic shocks) खुदरा स्तर के उपभोक्ता व्यवहार को तुरंत प्रभावित करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **UPI टिकट आकार (UPI Ticket Size):** किसी विशिष्ट क्षेत्र या समय सीमा के भीतर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रति व्यक्तिगत लेनदेन में स्थानांतरित (transacted) औसत मौद्रिक मूल्य।
- **आयातित मुद्रास्फीति (Imported Inflation):** घरेलू कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि, जिसका मुख्य कारण आयातित कच्चे माल या वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे तेल की लागत में वृद्धि होना है।
- **उच्च-आवृत्ति संकेतक (High-Frequency Indicators - HFIs):** वास्तविक समय (real-time) या उसके आस-पास के डेटा बिंदु (जैसे UPI वॉल्यूम, बिजली की खपत, या GST संग्रह) जिनका उपयोग अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक स्वास्थ्य में तत्काल बदलावों को मापने के लिए किया जाता।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **मौद्रिक नीति अधिदेश (Monetary Policy Mandate):** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत, मौद्रिक नीति समिति (MPC) को कानूनी रूप से मूल्य स्थिरता बनाए रखने (तथा CPI मुद्रास्फीति को $\pm 2\%$ के सहनशीलता बैंड के साथ 4% पर लक्षित करने) का अधिकार प्राप्त है, ताकि ऐसे बाहरी आपूर्ति-पक्ष के झटकों (supply-side shocks) पर प्रतिक्रिया दी जा सके।
- **भुगतान प्रणाली शासन (Payment Systems Governance):** UPI पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) को भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के तहत विनियमित किया जाता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव की अवधि के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए RBI को NPCI के संचालन पर नियामक निरीक्षण (regulatory oversight) प्रदान करता है।
- **संवैधानिक क्षेत्र (Constitutional Domain):** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, "बैंकिंग" और "सीमा शुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क भी है" विशेष रूप से संघ सूची (सूची I, क्रमशः प्रविष्टि 45 और 83) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार को बाहरी व्यापार झटकों और वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करने का अधिकार देते हैं।

निष्कर्ष

पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक अस्थिरता और भारत के खुदरा UPI लेनदेन के आकार में अचानक आई तेजी के बीच का संबंध वैश्विक आपूर्ति झटकों के प्रति घरेलू खुदरा उपभोग की उच्च संवेदनशीलता को दर्शाता है। हालांकि डिजिटल भुगतान निर्बाध लेनदेन गति सुनिश्चित करते हैं, लेकिन समष्टि-स्थिरीकरण (macro-stabilization) खुदरा अर्थव्यवस्था को आयातित मुद्रास्फीति से बचाने के लिए लचीले रणनीतिक भंडार और सक्रिय मौद्रिक हस्तक्षेप पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव)।
- सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था (योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्दे; बुनियादी ढांचा, ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र)।

2. भारत-ऑस्ट्रेलिया नागरिक परमाणु समझौते का संचालन और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना

मुख्य बिंदु और सारांश

- परमाणु ऊर्जा सहयोग:** भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक समझौतों की एक श्रृंखला पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे विशेष रूप से उनके 2014 के नागरिक परमाणु समझौते (Civil Nuclear Agreement) को पूरी तरह से संचालित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- यूरेनियम आपूर्ति सुरक्षित करना:** इस समझौते के संचालन से ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम आपूर्ति के लिए एक स्थिर, दीर्घकालिक गलियारा सुरक्षित होता है, जो पूरी तरह से शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्यों के लिए समर्पित है।
- बहु-क्षेत्रीय विस्तार:** यह द्विपक्षीय जुड़ाव केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और महत्वपूर्ण खनिज (critical minerals) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी शामिल हैं।
- हिंद-प्रशांत स्थिरता:** दोनों देश पूरे हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति, स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं।
- क्षेत्रीय आक्रामकता का मुकाबला:** संबंधों का यह सुदृढीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद-प्रशांत में चीन के आक्रामक व्यवहार को लेकर क्वाड (Quad) भागीदारों के बीच बढ़ती चिंताओं के साथ मेल खाता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- नागरिक परमाणु समझौता (Civil Nuclear Agreement):** राष्ट्रों के बीच एक द्विपक्षीय संधि जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों (safeguards) के तहत शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु सामग्री, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के हस्तांतरण की अनुमति देती है।

- **नियम-आधारित व्यवस्था (Rules-Based Order):** संप्रभु राज्यों द्वारा एकतरफा बल के बजाय स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और समुद्री सीमाओं को बनाए रखने की एक साझा प्रतिबद्धता।
- **महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals):** खनिज वस्तुएं (जैसे लिथियम या कोबाल्ट) जो किसी देश की आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संधि-निर्माण शक्ति (Treaty-Making Power):** भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची 1) की प्रविष्टि 14 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के तहत, कार्यपालिका के पास विदेशी देशों के साथ संधियां और समझौते करने की अनन्य शक्ति है।
- **परमाणु ऊर्जा कानून:** यूरेनियम की खोज, आपूर्ति और शांतिपूर्ण उपयोग को घरेलू स्तर पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत शासित किया जाता है, जो सुरक्षा और अप्रसार (non-proliferation) सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय (International Safeguards):** यह संचालन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के साथ भारत-विशिष्ट सुरक्षा उपायों के समझौते के तहत भारत की पृथक्करण योजना (separation plan) के अनुरूप है, जो नागरिक परमाणु सामग्री को सैन्य अनुप्रयोगों से अलग रखना सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

2014 के नागरिक परमाणु समझौते का संचालन भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक बड़ा बदलाव (paradigm shift) प्रस्तुत करता है, जो इस साझेदारी को आर्थिक सहयोग से ऊपर उठाकर उच्च-स्तरीय रणनीतिक तालमेल में बदल देता है। दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति सुरक्षित करके, भारत अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को मजबूत करता है और साथ ही क्षेत्रीय भू-राजनीतिक गतिशीलता को संतुलित करने के लिए क्वाड (Quad) संरचना के भीतर अपने समुद्री और सुरक्षा संरक्षण को सुदृढ़ करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते (भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध, क्वाड संरक्षण, हिंद-प्रशांत कूटनीति)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** बुनियादी ढांचा (ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण)।

3. सांस्कृतिक कूटनीति और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पारस्परिक विरासत की घर वापसी (Repatriation)

मुख्य बिंदु और सारांश

- **द्विपक्षीय सांस्कृतिक मील का पत्थर:** भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान गहरे सभ्यतागत महत्व की वस्तुओं को पारस्परिक रूप से वापस करने के लिए एक ऐतिहासिक विरासत समझौते को अंतिम रूप दिया है।
- **चोल काल की पुरावशेषों (Antiquities) की वापसी:** ऑस्ट्रेलिया स्वेच्छा से तमिलनाडु की 11वीं-12वीं शताब्दी की तस्करी की गई तीन पुरावशेषों को वापस कर रहा है, जो पहले नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के पास थीं।
- **बरामद की गई कलाकृतियाँ:** इन बरामद खजानों में पवित्र नंदी की चोल-कालीन पत्थर की मूर्ति, देवी भद्रकाली की कांस्य अनुष्ठान धातु त्रिशूल और छह सिर वाले कार्तिकेय (स्कंद) की बेसाल्ट पत्थर की मूर्ति शामिल है।
- **भारत द्वारा पारस्परिक कदम:** एक ऐतिहासिक पारस्परिक कदम के तहत, नई दिल्ली ने ऑस्ट्रेलिया के 'फर्स्ट नेशंस' (मूल निवासी) पूर्वज के अवशेषों को बिना किसी शर्त के वापस करने का संकल्प लिया, जो 1935 से चेन्नई के सरकारी संग्रहालय में रखे हुए थे।
- **अवैध पुरावशेष व्यापार का मुकाबला:** इन पवित्र मंदिर कलाकृतियों की सफल बरामदगी तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी (Idol Wing CID) जैसी राज्य की जांच एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय विरासत संस्थानों के बीच सक्रिय समन्वय को उजागर करती है।
- **रणनीतिक उपचार और सुलह (Strategic Healing and Reconciliation):** यह दोहरी घर वापसी सामान्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान से परे है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्याय, ऐतिहासिक सुलह और हिंद-प्रशांत ढांचे के भीतर पारस्परिक प्रवासी (diaspora) संबंधों को मजबूत करने के एक उपकरण के रूप में कार्य करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **पुरावशेष (Antiquities):** कोई भी सिक्का, मूर्ति, पांडुलिपि, अभिलेख या कलाकृति जो कम से कम एक सौ वर्षों से अस्तित्व में हो, और जिसका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक या सांस्कृतिक मूल्य हो।
- **प्रत्यावर्तन/घर वापसी (Repatriation):** सांस्कृतिक संपत्ति, चोरी की गई विरासत, या पूर्वजों के मानव अवशेषों को उनके मूल देश या पारंपरिक संरक्षकों को वापस करने की औपचारिक प्रक्रिया।
- **फर्स्ट नेशंस के लोग (First Nations People):** ऑस्ट्रेलिया की स्वदेशी आदिवासी (Aboriginal) आबादी, जो अपनी पैतृक भूमि और पैतृक अवशेषों के साथ एक गहरा, सहस्राब्दियों पुराना भौतिक और आध्यात्मिक संबंध रखते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **घरेलू पुरावशेष कानून:** भारत में, ऐतिहासिक खजानों के निर्यात और विनियमन को पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 के तहत शासित किया जाता है, जो किसी भी सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध निर्यात को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन:** यह द्विपक्षीय वापसी सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और रोकने के उपायों पर 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के सिद्धांतों के साथ निकटता से मेल खाती है, जिसमें दोनों देश हस्ताक्षरकर्ता हैं।

- **संवैधानिक क्षेत्राधिकार:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, राष्ट्रीय महत्व के "ऐतिहासिक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" स्पष्ट रूप से संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 67) के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक बहाली पर अनन्य कार्यकारी अधिकार प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष

प्राचीन मंदिर कलाकृतियों और स्वदेशी पूर्वजों के अवशेषों का पारस्परिक प्रत्यावर्तन (repatriation) भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक परिपक्व और प्रगतिशील चरण को दर्शाता है। ऐतिहासिक गलतियों को सुधार कर और सांस्कृतिक विरासत को नैतिक जवाबदेही के साथ संभालकर, दोनों लोकतंत्रों ने यह साबित कर दिया है कि समकालीन रणनीतिक गठबंधन तब और मजबूत होते हैं जब वे पारस्परिक सभ्यतागत सम्मान और सॉफ्ट-पावर डिप्लोमेसी (सॉफ्ट-पावर कूटनीति) पर आधारित हों।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र I:** भारतीय संस्कृति (प्राचीन काल से मध्यकाल तक के कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू, विशेष रूप से चोल मूर्तिकला और शैव-शक्ति मंदिर परंपराएं)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** भारत से जुड़े और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समझौते (भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध, सांस्कृतिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का कार्यान्वयन)।

4. भारत की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) में लचीलापन: भू-राजनीतिक व्यापार बाधाओं के बावजूद रिकॉर्ड समुद्री खाद्य (Seafood) निर्यात

मुख्य बिंदु और सारांश

- **रिकॉर्ड तोड़ निर्यात प्रदर्शन:** वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का समुद्री खाद्य निर्यात ₹73,890 करोड़ (8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 19,72,018 मीट्रिक टन (MT) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
- **संरक्षणवादी बाधाओं पर विजय:** यह वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए अभूतपूर्व 58% टैरिफ (शुल्क) के बावजूद दर्ज की गई, जो भारत का सबसे बड़ा झींगा (shrimp) बाजार है और कुल निर्यात में 40% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
- **फ्रोजन झींगे (Frozen Shrimp) का दबदबा:** निर्यात टोकरी में फ्रोजन झींगे का नेतृत्व जारी रहा, जिसने ₹49,037 करोड़ का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें अमेरिका और चीन प्राथमिक गंतव्य बाजार बने रहे।
- **रणनीतिक बाजार विविधीकरण:** विभिन्न देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) द्वारा संचालित बाजार विस्तार ने एकतरफा व्यापार प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद की।
- **गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर संक्रमण:** पारंपरिक तटीय जल (40-50 समुद्री मील) से आगे विविधीकरण करने के लिए, सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और उच्च समुद्रों (high seas) में स्थायी कटाई के लिए मत्स्य सहकारी समितियों को प्राधिकरण पत्र (Letters of Authorisation - LoA) वितरित करने का एक ढांचा शुरू किया है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy):** एक सतत आर्थिक मॉडल जो आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागर और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की वकालत करता है।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ):** UNCLOS द्वारा निर्धारित समुद्र का एक क्षेत्र जिस पर एक संप्रभु राज्य को समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जो तट से 200 समुद्री मील (nautical miles) तक फैला होता है।
- **प्राधिकरण पत्र (Letter of Authorisation - LoA):** भारतीय ध्वज वाले जहाजों (Indian-flagged vessels) को दिया जाने वाला एक औपचारिक नियामक परमिट जो उन्हें निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय या गहरे समुद्र की क्षेत्राधिकार सीमाओं के भीतर कानूनी और स्थायी रूप से मछली पकड़ने में सक्षम बनाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संवैधानिक क्षेत्राधिकार:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, "प्रादेशिक जलक्षेत्र से परे मात्स्यिकी" संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 57) के अंतर्गत आती है, जो केंद्र को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को विनियमित करने का अनन्य अधिकार देती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून:** गहरे समुद्र के संचालन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) का सख्ती से पालन करते हैं, जो उच्च समुद्रों में समुद्री ज़ोनिंग, संरक्षण और दोहन के अधिकारों को विनियमित करता है।
- **संस्थागत सहायता:** निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता मानकों की कानूनी रूप से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) द्वारा MPEDA अधिनियम, 1972 के तहत निगरानी की जाती है, जो वैश्विक स्वच्छता और पादप-स्वच्छता (sanitary and phytosanitary) नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन पश्चिमी संरक्षणवादी उपायों के खिलाफ इसके संरचनात्मक लचीलेपन को उजागर करता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की ओर ध्यान केंद्रित करके और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड जैसी सहकारी समितियों के माध्यम से स्थायी शासन ढांचे को संचालित करके, भारत दीर्घकालिक समुद्री खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और निर्यात आय को अधिकतम करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और समझौते (अमेरिकी टैरिफ नीतियों का प्रभाव, व्यापार कूटनीति और FTAs)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; पशुपालन का अर्थशास्त्र और नीली अर्थव्यवस्था पारिस्थितिकी तंत्र।

5. गुजरात डेटा सेंटर नीति (2026-29): एआई (AI) का लाभ उठाना और डिजिटल

बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

मुख्य बिंदु और सारांश

- **रणनीतिक बुनियादी ढांचा लक्ष्य:** गुजरात सरकार ने अपनी पहली डेटा सेंटर नीति (2026-29) का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य ₹6 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करना है।
- **क्षमता और प्रौद्योगिकी फोकस:** नीति हाइपरस्केल डेटा सेंटरों, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई-संचालित बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए 7.5 गीगावाट (GW) डेटा सेंटर क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखती है।
- **प्रदान किए गए वित्तीय प्रोत्साहन:** यह पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, बिजली शुल्क सहायता और राज्य जीएसटी (SGST) की प्रतिपूर्ति (reimbursement) सहित मजबूत वित्तीय हस्तक्षेप प्रदान करता है।
- **परिचालन सुगमता और राहते:** निर्बाध स्थापना की सुविधा के लिए, नीति आने वाली परियोजनाओं के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से स्पष्ट छूट प्रदान करती है।
- **पारिस्थितिक और संसाधन समाधान:** डेटा बुनियादी ढांचे की उच्च पानी की खपत को स्वीकार करते हुए, नीति समर्पित अलवणीकरण संयंत्रों (desalination plants) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को एकीकृत करती है।
- **प्रतिस्पर्धी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र:** इस ढांचे को गुजरात को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्थापित तकनीकी केंद्रों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **हाइपरस्केल डेटा सेंटर (Hyperscale Data Centre):** महत्वपूर्ण कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और भंडारण क्षमताओं के साथ मजबूत, व्यवसाय-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए इंजीनियर किए गए बड़े पैमाने के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे।
- **क्लाउड कंप्यूटिंग (Cloud Computing):** उपयोगकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष सक्रिय प्रबंधन के बिना इंटरनेट पर कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों, विशेष रूप से डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग शक्ति की मांग पर उपलब्धता और वितरण।
- **अलवणीकरण संयंत्र (Desalination Plant):** एक औद्योगिक सुविधा जो खारे पानी या समुद्र के पानी को उपचारित और संसाधित करके खनिजों और लवणों को हटाती है, जिससे यह औद्योगिक शीतलन (cooling) कार्यों के लिए उपयुक्त ताजे पानी में परिवर्तित हो जाता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **डेटा संप्रभुता और स्थानीयकरण:** घरेलू डेटा सेंटरों को बढ़ावा देना डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 की कानूनी भावना के अनुरूप है, जो राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर सुरक्षित डेटा प्रसंस्करण ढांचे को अनिवार्य बनाता है।
- **संवैधानिक क्षमता:** "विद्युत" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 38) के अंतर्गत आती है, जो राज्य को अनुकूलित बिजली शुल्क और बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है।
- **वित्तीय स्वायत्तता:** SGST की प्रतिपूर्ति केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित राज्य GST कानूनों के माध्यम से राज्यों को दी गई वैधानिक शक्तियों के तहत निष्पादित की जाती है।

निष्कर्ष

गुजरात डेटा सेंटर नीति (2026-29) भारत के मुख्य संप्रभु डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। बड़े पैमाने पर वित्तीय प्रोत्साहनों को अलवणीकरण एकीकरण जैसी संसाधन-सचेत रणनीतियों के साथ संतुलित करके, यह नीति न केवल राज्य को आसन्न एआई क्रांति के लिए तैयार करती है बल्कि संघीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के भीतर सतत औद्योगिकीकरण के लिए एक लचीला खाका भी बनाती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन और संविधान (वैधानिक निकाय, संघीय प्रावधान, राज्य नीति हस्तक्षेप, और DPDP अधिनियम का कार्यान्वयन)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा (विकास, संसाधनों को जुटाने, निवेश मॉडल, आईटी बुनियादी ढांचा, ऊर्जा क्षमता निर्माण, और एआई-संचालित औद्योगिक विकास)।

6. सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन: कर्नाटक में एचआईवी (HIV) निदान में नवाचार और कलंक (Stigma) को चुनौती देना

मुख्य बिंदु और सारांश

- **अनिर्धारित एचआईवी बोझ:** कर्नाटक में भारत में एचआईवी के साथ जी रहे ऐसे लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो अपनी सकारात्मक स्थिति (positive status) से अनजान हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 56,406 व्यक्ति है।
- **लक्षित अभियान की शुरुआत:** इस नैदानिक अंतर को पाटने के लिए, कर्नाटक राज्य एड्स रोकथाम सोसायटी (KSAPS) ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के तत्वावधान में "एड्स सुरक्षा के लिए लामबंदी" (Mobilisation for AIDS Suraksha) अभियान शुरू किया।
- **डिजिटल हस्तक्षेप रणनीति:** इस पहल ने 'ब्रेकफ्री क्यूआर कोड' (BreakFree QR code) पेश किया जो अज्ञात उपयोगकर्ताओं को एक गोपनीय स्व-जोखिम मूल्यांकन उपकरण, स्थानीय परीक्षण केंद्रों और पेशेवर परामर्शदाताओं से जोड़ता है।
- **बदलता महामारी विज्ञान परिदृश्य:** सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने संचरण की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव की पहचान की, और यह नोट किया कि आधुनिक डेटिंग ऐप्स के माध्यम से विस्तारित होते यौन नेटवर्क पारंपरिक ट्रेकिंग के लिए एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करते हैं।
- **स्वैच्छिक परीक्षण में बाधाएं:** मुफ्त परीक्षण और पहले से ही उपचार के तहत दो लाख से अधिक लोगों का समर्थन करने वाले मजबूत चिकित्सीय बुनियादी ढांचे के बावजूद, सामाजिक कलंक और भेदभाव लोगों को स्वेच्छा से आगे आने से रोकते हैं।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (HIV):** एक वायरस जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है, जिसका यदि इलाज न किया जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) हो सकता है।
- **उच्च जोखिम वाले समूह (HRGs):** वे उप-आबादी जिन्हें विशिष्ट व्यवहार पैटर्न, जैविक कमजोरियों या प्रणालीगत सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर होने के कारण एचआईवी से संक्रमित होने का काफी अधिक जोखिम होता है।
- **गोपनीय स्व-जोखिम मूल्यांकन (Confidential Self-Risk Assessment):** एक अज्ञात डिजिटल ट्राइएज टूल जो व्यक्तियों को अपनी पहचान बताए बिना व्यावहारिक इनपुट के आधार पर संक्रमण के संपर्क में आने की अपनी संभावना का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017:** यह ऐतिहासिक केंद्रीय कानून रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में एचआईवी-सकारात्मक व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, साथ ही डेटा की गोपनीयता को सख्ती से अनिवार्य बनाता है।
- **स्वास्थ्य का अधिकार:** भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार "स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के अधिकार" को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा है, जिससे राज्यों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा प्रदान करना एक दायित्व बन गया है।
- **शक्तियों का संवैधानिक वितरण:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, "लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय" राज्य सूची (सूची II, प्रविष्टि 6) के अंतर्गत आते हैं, जो कर्नाटक जैसे राज्यों को क्षेत्रीय महामारी नियंत्रण उपायों को तैयार करने और निष्पादित करने का अधिकार देते हैं।

निष्कर्ष

"एड्स सुरक्षा के लिए लामबंदी" अभियान पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा चैनलों के साथ अज्ञात डिजिटल पहुंच को जोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। डिजिटल विभाजन और गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक कलंक जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोपरि है कि कमजोर आबादी को राज्य के मुफ्त चिकित्सीय पारिस्थितिकी तंत्र में सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा सके।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन और सामाजिक न्याय (स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; NACO जैसे वैधानिक/कार्यकारी निकायों की भूमिका)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी (दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग; डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप, बीमारियों के बारे में जागरूकता)।

7. उच्च शिक्षा शासन में उच्च-आवृत्ति विसंगतियां: एनआईआरएफ (NIRF) भागीदारी और एफवाईयूपी (FYUP) कार्यान्वयन प्रवृत्तियों का मूल्यांकन

मुख्य बिंदु और सारांश

- **सीमित एनआईआरएफ (NIRF) जुड़ाव:** शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 55% पंजीकृत विश्वविद्यालयों ने ही राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग में भाग लिया।
- **आंशिक एफवाईयूपी (FYUP) अंगीकरण:** सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब तक केवल 56% भारतीय विश्वविद्यालयों ने ही चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) को सफलतापूर्वक शुरू किया है, जो संरचनात्मक शैक्षणिक सुधारों के प्रति एक असमान राष्ट्रीय संक्रमण (transition) को उजागर करता है।
- **रिकॉर्ड व्यापक नामांकन (Macro Enrolment):** संस्थागत मूल्यांकन अंतरालों के बावजूद, भारत में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2023-24 के दौरान 4.5 करोड़ छात्रों के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले दशक में 31.5% की उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- **समावेशिता और लैंगिक समानता:** आंकड़े पुष्टि करते हैं कि महिलाएं इस शुद्ध विस्तार को गति दे रही हैं, जिससे महिला सकल नामांकन अनुपात (GER) बढ़कर 31.2% हो गया है और लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 1.08 के साथ समानता के स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है।
- **स्टेम (STEM) मील का पत्थर:** पहली बार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) पाठ्यक्रमों में कुल छात्र नामांकन एक करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जिसमें इन तकनीकी धाराओं में महिलाओं ने 44% हिस्सेदारी हासिल की है।
- **संरचनात्मक जवाबदेही का अभाव:** एनआईआरएफ (NIRF) मूल्यांकनों में 45% की भारी गैर-भागीदारी दर उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) के भीतर खुद को सार्वजनिक गुणवत्ता मानकीकरण और प्रदर्शन मेट्रिक्स के अधीन करने में गहरी झिझक को प्रकट करती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF):** शिक्षण, शिक्षण संसाधन और अनुसंधान जैसे मापदंडों के आधार पर देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक मानकीकृत कार्यप्रणाली।
- **चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शुरू की गई एक बहुविषयक स्नातक संरचना, जो लचीले प्रवेश/निकास (entry/exit) विकल्प और उन्नत अनुसंधान पर केंद्रित एक अनिवार्य चौथा वर्ष प्रदान करती है।
- **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा तक सापेक्ष पहुंच को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सामाजिक-आर्थिक सूचकांक, जिसकी गणना पुरुष GER के मुकाबले महिला GER के अनुपात के रूप में की जाती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **समवर्ती क्षेत्राधिकार:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 25) के तहत "तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शिक्षा" को शासित किया गया है, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्यपूर्ण विधायी निष्पादन की आवश्यकता होती है।
- **वैधानिक निरीक्षण:** विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानकों के विनियमन और समन्वय का कानूनी दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956 की धारा 12 के तहत यूजीसी को सौंपा गया है।
- **उच्च शिक्षा का अधिकार:** हालांकि अनुच्छेद 21A मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देता है, समतामूलक उच्च शिक्षा के लिए राज्य की योजना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 41 के अनुरूप है, जो राज्य को अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

नवीनतम AISHE निष्कर्ष भारतीय उच्च शिक्षा में मात्रात्मक सफलता बनाम गुणात्मक पिछड़ेपन का एक क्लासिक मामला प्रस्तुत करते हैं। हालांकि पहुंच और जनसांख्यिकीय समावेशिता ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, लेकिन एनआईआरएफ मूल्यांकनों में भाग लेने के लिए भारत के लगभग आधे विश्वविद्यालयों की अनिच्छा और सुस्त एफवाईयूपी कार्यान्वयन, एक सख्त विनियामक ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत जवाबदेही भारत के इस व्यापक विस्तार से मेल खा सके।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन और सामाजिक न्याय (शिक्षा से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप और NEP 2020 के कार्यान्वयन में कमियां)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** आर्थिक विकास (मानव संसाधन विकास, कौशल अंतर और जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम उपयोग)।

8. प्रस्तावित एनएफएसए (NFSA) संशोधन और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न आवंटन पर संघीय बहस

मुख्य बिंदु और सारांश

- **प्रस्तावित विधायी बदलाव:** केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की धारा 3 में एक संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत अंत्योदय अन्न योजना (AAY) की पात्रता को एक निश्चित घरेलू-आधारित मीट्रिक से बदलकर प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम प्रति माह आवंटन में परिवर्तित किया जाना है।
- **उच्चतम सीमा (Upper Ceiling) लागू करना:** नए तैयार किए गए मसौदा ढांचे के तहत, संशोधित मासिक प्रति व्यक्ति आवंटन को कड़ाई से प्रति व्यक्तिगत परिवार अधिकतम 35 किलोग्राम की सीमा पर सीमित किया गया है।

- **बदलाव के लिए केंद्र का तर्क:** केंद्र सरकार का तर्क है कि वर्तमान निश्चित (flat) प्रणाली श्रेणी के भीतर ही असमानताओं (intra-category inequities) को बढ़ावा देती है, क्योंकि छोटे परिवारों को बड़े, वंचित परिवारों की तुलना में प्रति व्यक्ति अधिक अनाज वितरण का लाभ मिल जाता है।
- **मजबूत उप-राष्ट्रीय (राज्यों का) विरोध:** दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु और केरल ने इस कदम का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने रेखांकित किया है कि एकल परिवारों (nuclear families) की ओर उनके जनसांख्यिकीय झुकाव के कारण कुल खाद्यान्न प्रवाह में भारी गिरावट आएगी।
- **उभरती क्षेत्रीय असमानताएं:** नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी है कि प्रति व्यक्ति मॉडल अनजाने में खाद्य शासन में एक उत्तर-दक्षिण विभाजन पैदा कर सकता है, जिससे सफल जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम वाले राज्यों को नुकसान होगा और बड़े परिवार के आकार वाले राज्यों को फायदा होगा।

आवश्यक परिभाषाएं

- **अंत्योदय अन्न योजना (AAY):** भारत भर में सबसे गरीब परिवारों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक लक्षित सरकारी योजना।
- **प्रति व्यक्ति आवंटन (Per Capita Allocation):** एक वितरण व्यवस्था जहां कल्याणकारी पात्रताएं पूरे घरेलू इकाई के बजाय व्यक्तिगत रूप से प्रति व्यक्ति आवंटित की जाती हैं।
- **श्रेणी के भीतर असमानता (Intra-Category Inequity):** अलग-अलग परिवार के आकार जैसे संरचनात्मक चरों के कारण एक ही कल्याणकारी लाभार्थी समूह के भीतर उभरने वाली असमानताएं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वैधानिक संशोधन तंत्र:** यह परिवर्तन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 की धारा 3 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक (proviso) को संशोधित करता है, जो सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के कानूनी अधिकार को संभालता है।
- **संवैधानिक अधिकारों का एकीकरण:** एनएफएसए (NFSA) का निष्पादन सीधे तौर पर भोजन के अधिकार (Right to Food) को आगे बढ़ाता है, जिसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार के एक मौलिक घटक के रूप में मान्यता दी है।
- **समवर्ती विधायी सूची:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, "खाद्य पदार्थों का व्यापार और वाणिज्य और उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण" समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 33) के अंतर्गत आता है, जिसके लिए संघीय (केंद्र) और राज्य सरकारों के बीच कड़े सहयोग की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

प्रस्तावित एनएफएसए संशोधनों पर घर्षण पूर्ण संघीय अनुकूलन और सहकारी कल्याण वितरण के बीच एक नाजुक संतुलन को उजागर करता है। जहां केंद्र का लक्ष्य बहु-सदस्यीय परिवारों के बीच संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त करना है, वहीं व्यक्तिगत राज्यों की अनूठी जनसांख्यिकीय वास्तविकताएं वित्तीय और सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए एक आम सहमति-संचालित दृष्टिकोण (जैसे कि एक समान मध्यवर्ती न्यूनतम आवंटन) की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन और संविधान (केंद्र और राज्यों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं; स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; संघीय चुनौतियां)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** आर्थिक विकास (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित मुद्दे; पीडीएस के उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं और सुधार; खाद्य सुरक्षा के मुद्दे)।

9. राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के वैधानिक कामकाज को चुनौती देने वाली जनहित याचिका

मुख्य बिंदु और सारांश

- **संस्थागत खराबी पर जनहित याचिका:** सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों और प्रमुख संरक्षणवादियों के एक समूह ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) के संरचनात्मक कामकाज को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की है।
- **भूमि डाइवर्जन की उच्च दर:** याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनबीडब्ल्यूएल (NBWL) और उसकी स्थायी समिति केवल एक "क्लीयरिंग हाउस" (मंजूरी घर) बनकर रह गए हैं, जिन्होंने 2014 और 2026 के बीच संरक्षित क्षेत्रों के भीतर 97% से अधिक बुनियादी ढांचे, खनन और औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
- **वैधानिक अधिदेश का कमजोर होना:** संरक्षणवादियों ने गंभीर प्रक्रियात्मक कमियों पर प्रकाश डाला, और ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जहां स्थायी समिति ने एक ही दिन में 100 से अधिक वन-डाइवर्जन प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दे दी।
- **परिचालन असंतुलन:** एनबीडब्ल्यूएल (NBWL) का पूर्ण निकाय, जिसे सालाना बैठक करने का वैधानिक जनादेश प्राप्त है, 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद 2025 में मिला, जिसने प्रभावी रूप से इसकी छोटी स्थायी समिति को वास्तविक (de facto) निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य करने की अनुमति दे दी।
- **बाध्यकारी दिशानिर्देशों की मांग:** याचिकाकर्ता न्यायिक रूप से लागू करने योग्य दिशानिर्देशों की मांग कर रहे हैं ताकि यह विनियमित किया जा सके कि यह शीर्ष निकाय और उसकी समिति पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन कैसे करती है और गैर-संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी कैसे देती है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL):** वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए भारत में गठित शीर्ष वैधानिक निकाय।
- **संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas - PAs):** जैव विविधता के संरक्षण के लिए कानून के तहत नामित राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र।
- **जनहित याचिका (PIL):** एक कानूनी व्यवस्था जो सार्वजनिक भावना से प्रेरित व्यक्तियों या समूहों को पर्यावरण जैसी सार्वजनिक संपत्तियों या हाशिए पर मौजूद समूहों के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा या उन्हें लागू करने के लिए अदालतों में मुकदमा दायर करने की अनुमति देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वैधानिक उत्पत्ति:** एनबीडब्ल्यूएल (NBWL) की स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 5A के तहत की गई है, और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
- **संवैधानिक पर्यावरण अधिदेश:** वन्यजीवों की सुरक्षा सीधे तौर पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 48A और मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A(g) के अनुरूप है, जो राज्य और नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देते हैं।
- **न्यायिक रिट क्षेत्राधिकार:** यह जनहित याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई थी, जो उच्च न्यायालयों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के खिलाफ मौलिक और वैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष

एनबीडब्ल्यूएल (NBWL) के खिलाफ कानूनी चुनौती पारिस्थितिक अखंडता के साथ औद्योगिक विस्तार को पुनर्संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। किसी शीर्ष वैधानिक निकाय के कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए, उसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया कठोर, पारदर्शी और कानूनी रूप से जवाबदेह होनी चाहिए। भारत के सिकुड़ते संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के अपरिवर्तनीय क्षरण को रोकने के लिए एनबीडब्ल्यूएल के स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन और संविधान (वैधानिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता (संरक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, संरक्षित क्षेत्रों के शासन में चुनौतियां, और पारिस्थितिक स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करना)।

10. उद्यम पूंजी (Venture Capital) वितरण में सुधार: स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में सहकारी संघवाद को बढ़ावा

मुख्य बिंदु और सारांश

- **स्टार्टअप पूंजी पर केंद्रीय निर्देश:** केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से समानांतर राज्य स्तरीय स्टार्टअप फंडिंग वाहनों के निर्माण को रोकने का आग्रह किया है।
- **FoF 2.0 के तहत समेकन:** राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक पूंजी को सीधे नव-स्वीकृत ₹10,000 करोड़ के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (FoF 2.0) ढांचे के माध्यम से सह-निवेश (co-invest) करें।
- **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को लक्षित करना:** अपने क्षेत्र-अज्ञेयवादी (sector-agnostic) पूर्ववर्ती के विपरीत, FoF 2.0 चार विशिष्ट निवेश खंडों को पेश करता है: डीप-टेक (deep-tech), अभिनव विनिर्माण (innovative manufacturing), माइक्रो वीसी (micro VCs), और अज्ञेयवादी फंड (agnostic funds)।

- **उन्नत फंडिंग स्टैक:** संशोधित योजना वैकल्पिक निवेश फंडों (AIFs) में सरकार के अधिकतम पूंजी योगदान को 25% से बढ़ाकर 40% करती है, जबकि डीप-टेक के लिए निवेश अवधि को 12 से बढ़ाकर 18 वर्ष करती है।
- **विकेंद्रीकृत बहु-एजेंसी मॉडल:** केवल सिडबी (SIDBI) तंत्र से हटकर, FoF 2.0 टियर-2 और टियर-3 शहरी समूहों में पहुंच को व्यापक बनाने के लिए एक बहु-एजेंसी ढांचे की ओर कार्यान्वयन को स्थानांतरित करता है।
- **पूंजी विखंडन (Capital Fragmentation) को कम करना:** वर्तमान में 15 से अधिक राज्य स्वतंत्र स्टार्टअप फंड चला रहे हैं; इन्हें एकल राष्ट्रीय संरचना में समेकित करने का उद्देश्य पूंजी के विखंडन से बचना और मजबूत निवेश पाइपलाइन बनाना है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **फंड ऑफ फंड्स (FoF):** एक संचित निवेश रणनीति (pooled investment strategy) जहां एक फंड कॉर्पोरेट इक्विटी या स्टार्टअप में सीधे निवेश करने के बजाय अन्य संस्थागत वित्तीय वाहनों (जैसे उद्यम पूंजी फंड) में निवेश करता है।
- **वैकल्पिक निवेश फंड (AIF):** भारत में स्थापित एक निजी तौर पर संचित निवेश वाहन जो सेबी (SEBI) के नियमों के तहत परिभाषित निवेश नीति के अनुसार परिनियोजन के लिए घरेलू या विदेशी निवेशकों से पूंजी एकत्र करता है।
- **डीप टेक्नोलॉजी (Deep-Tech):** ठोस वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग नवाचारों (जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स) पर स्थापित स्टार्टअप जिन्हें उच्च जोखिम वाली, लंबी अवधि की धैर्यवान पूंजी (patient capital) की आवश्यकता होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **कार्यकारी आवंटन शक्ति:** ये दिशानिर्देश वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जो इसके केंद्रीय नीति-निर्माण अधिदेश को निष्पादित करते हैं।
- **वैधानिक प्रतिभूति निरीक्षण:** FoF से पूंजी प्राप्त करने वाले सभी मध्यवर्ती फंडों को सेबी (वैकल्पिक निवेश फंड) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ (AIFs) के रूप में औपचारिक रूप से पंजीकृत और विनियमित होना अनिवार्य है।
- **संवैधानिक क्षेत्र:** भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, "उद्योगों का विकास" उस सीमा तक संघ सूची (सूची I, प्रविष्टि 52) के अंतर्गत आता है जहां तक संसद द्वारा कानून बनाकर इसे सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया गया हो, जो केंद्र को औद्योगिक पूंजी वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए वैध आधार प्रदान करता है।

निष्कर्ष

स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में प्रस्तुत संरचनात्मक बदलाव व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से रणनीतिक क्षमता निर्माण की ओर एक स्पष्ट संक्रमण का संकेत देता है। खंडित राज्य-स्तरीय फंडिंग को हतोत्साहित करके और एक सह-निवेश मॉडल पेश करके, यह नीति सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। विस्तारित निवेश क्षितिज के साथ संयुक्त यह केंद्रीकरण, अत्याधुनिक उद्योगों में भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक धैर्यवान पूंजी प्रदान करता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र II:** शासन और संघवाद (वैधानिक नियामक ढांचे, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्रीय आर्थिक हस्तक्षेपों के साथ राज्य की नीतियों का संरेखण, DPAT जैसे कार्यकारी विभागों की भूमिका)।
- **सामान्य अध्ययन (GS) प्रश्नपत्र III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा (निवेश मॉडल, संसाधनों को जुटाने, औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता, और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में पूंजी के अंतर को दूर करना)।

